तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/903/2004/बाडमेर** **हनुमान व अन्य बनाम दौलाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2003 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0ने एक राजस्व वाद बाबत ग्राम बलाउ जाटी में स्थित आराजी ख0न0133 का अपने आपकों खातेदार बाते हुये इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण ख0न0 133 खातेदार है। प्रतिवादीगण ने आराजी ख00न0 133 के सम्पूर्ण रकबे मे से 3 बीघा उत्तर–पूर्व की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। यद्यपित उक्त खसरा नं 133 में अन्य संयुक्त खातेदार भी थे। प्रतिवादीगण बार–बार कहरने पर भी वह कब्जा नहीं छाड रहे है। परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.02 से वादीगण/रेस्पो0 का वाद अस्वीकार कर कर दिया। वादीगण/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2002 से अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/903/2004/बाडमेर** **हनुमान व अन्य बनाम दौलाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाद वादीगण/रेस्पो0 आदेश 6 नियम 2 सी0पी0सी0 के अनुसार नहीं था और ना ही वादीगण/रेस्पो0 ने वाद में कॉज आफ एक्शन ही अपने वाद में दर्शाया। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी का वाद विधिसम्मत रूप से खारिज किये जाने के बाद भी अपीलीय न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया, जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभभाषक ने तर्क दिया कि अपील अधिकारी ने भू मापक आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है जबकि भू मापक आयुक्त को वादीगण ने गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। भू मापक आयुक्त के बयान नहीं होने के अभव में प्रदर्श –1 पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और वादीगण का वाद डिक्री करने के लिये उसको पर्याप्त नही माना सकता था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/अपीलांटस0 को वाद में विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाये गये तथा तामील को पर्याप्त होना मानते हुये अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। परन्तु वादीगण/रेस्पो0 वाद को सिद्ध करने के अभाव में परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद अस्वीकार कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री से वादीगण/रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करते हुय परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीगण/रेस्पो0 अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने के अधिकारी नहीं है चूंकि वाद में वह विवादित 3 बीघा भूमि अपीलांटस के स्वंय की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नं0 127 में अपीलांटस द्वारा सम्मिलित किया जाना माना है। वाद प्रस्तुत करने व डिक्री करवाये जाने से अपीलांटस को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नं0 127 से बेदखल नहीं किया जा सकता। परन्तु अपील अधिकारी ने इस प्रकार की विधि विरूद्ध डिक्री पारित करते हुये निर्णय दिया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2004 आर0आर0डी0 पेज 4, 2005 आर0बी0जे0 पेज 25 के न्यायिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/903/2004/बाडमेर** **हनुमान व अन्य बनाम दौलाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी वादीगण एवं उनके सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है और इसके पडौस में ही प्रतिवादीगण का खेत खसरा नं0 127 स्थित है। प्रतिवादीगण ने लगभग 3 वर्ष पहले आराजी ख0न0 133 के उत्तरी–पूर्व की ओर वादीगण की 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। जिस पर भू प्रबन्ध विभाग से पैमाईश करवाने पर प्रतिवादीगण द्वारा नक्शा परिशिष्ट–अ में दशार्य अनुसार 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया। इस पर सभी सहखातेदारान की सहमति से वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने मात्र इस आधार पर वाद खारिज कर दिया कि वादीगण ने सभी सह खातदेान को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह खातेदारी की भूमि के संबंध में कोई भी एक या अधिक सह खातेदार संबंधित अतिक्रमी के विरूद्ध वाद दायर करने के लिए सक्षम है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा उपस्थित होकर जबाव दावा तक प्रस्तुत नहीं किया और ना ही वादीगण के वाद लाने के अधिकार को चुनौती दी गयी। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने मात्र कयास के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादीगण/रेस्पो0 का वाद खारिज कर दिया। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने विधिसम्मत आदेश से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 1989 आर0आर0डी0 पेज 598, 1995 आर0आर0डी0 पेज 181, 1987 आर0आर0डी0 पेज 250 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/903/2004/बाडमेर** **हनुमान व अन्य बनाम दौलाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण की पत्रावली के पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम द्वितीय पैरा में अंकित किया है कि– '' फलस्वरूप विचाराधीन अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाते है एवं वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात जो कि मूल वाद पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में दर्शायी गयी है, पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी करार दिया जाकर उन्हे उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा वादीगण का सुपुर्द किये जाने, मौके पर कब्जा सुपुर्द किये जाने तथा तत्पश्चात खसरा नं0 133 की समस्त भूमि के संबंध में वादीगण एवं उनके अन्य सहखातेदारान के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के निर्देश दिये जाते है कि खसरा नं0 133 की भूमि या उसके किसी भूभाग के संबंध मं प्रतिवादीगण या उसके एजेन्ट आदि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे और ना ही किसी प्रकार से कब्जा करे या कब्जा करने का प्रयास करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहर करे। डिक्री पर्चा जारी हो।'' उपरोक्त समस्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि इन्हीं वादग्रस्त भूमियों के संबंध मं इन्हीं पक्षकारों के मध्य सीमाज्ञान व पत्थर गढी की कार्यवाही हेतू पूर्व वर्णित सीमाज्ञान, जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। वह जांच रिपोर्ट इन्हीं विवादित भूमियों के संबंध में होने से इस प्रकरण में साक्ष्य के रूप में पूर्णतया स्वीकार योग्य पायी जाती है। यह जांच रिपोर्ट इन पक्षकारों के मध्य विवादित भूमियों बाबत राजस्व रिकार्ड व मौका जांच के आधार पर तैयार की गयी है। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। इस स्थिति में एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध बेदखली का दावा ला सकता है, जिसके द्वारा इस प्रकार का विधि विरूद्ध अतिक्रमण किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सीमाज्ञान, पत्थर गढी हेतू जांच रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/903/2004/बाडमेर** **हनुमान व अन्य बनाम दौलाराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	देकर निरस्त भी नहीं करवाया गया है। इस स्थिति में अपीलांट का एक रिकाडेर्ड खातेदार की भूमि पर विधि विरूद्ध अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में विधिसंगत व न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्ण परीक्षण व जांच करने के उपरांत ही विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2003 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) सदस्य (राजेश्वर सिंह) अध्यक्ष	